



Seat No. : \_\_\_\_\_

**OC-101(H)**  
**October-2025**  
**B.Com., Sem.-VI**  
**CC-308 : Business Law**

**Time : 2:30 Hours]**

**[Max. Marks : 70**

**(Hindi Version)**

1. “क्षतिपूर्ति की संविदा” तथा “प्रत्याभूति की संविदा” को परिभाषित कीजिए। उनके मध्य किन्हीं पाँच अंतरों को बताइए। 14
- अथवा**
1. (A) उपनिहिती (Bailee) के कर्तव्य बताइए। 7  
(B) “एजेंसी का समापन” पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7
2. निजी कंपनी के विशेषाधिकार बताइए। 14
- अथवा**
2. (A) संगम ज्ञापन (memorandum of association) के “उद्देश्य खण्ड” को समझाइए। 7  
(B) “न्यूनतम अभिदान” पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7
3. “उपभोक्ता” (Consumer) को परिभाषित कीजिए तथा उपभोक्ता के अधिकार बताइए। 14
- अथवा**
3. (A) “अनुचित व्यापार प्रथाएँ” समझाइए। 7  
(B) “उपभोक्ता विवाद” (consumer dispute) तथा “परिवादी” (complainant) समझाइए। 7
4. “वचन-पत्र” को परिभाषित कीजिए। “वचन-पत्र” तथा “विनिमय-पत्र” के मध्य अंतर बताइए। 14
- अथवा**
4. (A) परक्राम्य लिखत (Negotiable Instruments) के लक्षण बताइए। 7  
(B) “क्रॉसिंग के प्रकार” पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7
- OC-101(H)** **1** **P.T.O.**

5. निम्न विधानों में सही या गलत बताइए : (कोई सात)

14

- (1) उपनिहिती (Bailee) बेलमेंट के माल का अपनी इच्छानुसार उपयोग नहीं कर सकता ।
  - (2) एक एजेंसी बनाने हेतु प्रतिफल आवश्यक नहीं है ।
  - (3) क्षतिपूर्ति की संविदा एक समाश्रित संविदा है ।
  - (4) निजी अथवा सार्वजनिक कंपनी के अंशों को सरलतापूर्वक हस्तांतरित किया जा सकता है ।
  - (5) निदेशक (Directors) कंपनी के स्वामी हैं ।
  - (6) निजी कंपनी में न्यूनतम 10 सदस्य होने चाहिए ।
  - (7) बीमा पॉलिसी क्रेता एक उपभोक्ता (consumer) है ।
  - (8) जब माल दोषयुक्त हो, तो आप शिकायत कर सकते हैं ।
  - (9) राष्ट्रीय आयोग 5 सदस्यों से बना होता है ।
  - (10) प्रत्येक परक्राम्य लिखत (Negotiable Instrument) लिखित ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है ।
  - (11) वचन-पत्र में भुगतान का वचन सशर्ती होना चाहिए ।
  - (12) विनिमय-पत्र में दो पक्षकार होते हैं ।
-